

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

16.11.2023

उनवान

निर्णय दिनांक

14.02.2024

प्रकरण संख्या  
382/2023

1. मथुरा लाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति जाट, उम्र वयस्क निवासी चोयलो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती शान्ति पत्नी श्री जगन्नाथ, जाति जाट, उम्र वयस्क निवासी चोयलो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. देवी लाल पुत्र श्री गोकल, जाति जाट उम्र वयस्क निवासी चोयलो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. रामेश्वर पुत्र श्री औंकार, जाति जाट, उम्र वयस्क निवासी चोयलो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राधेश्याम जाट पुत्र श्री भैरू जाट, जाति जाट, उम्र वयस्क निवासी चोयलो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. लक्ष्मण जाट पुत्र श्री घीसा जाट, जाति जाट, उम्र वयस्क निवासी चोयलो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रामचन्द्र जाट पुत्र श्री परसा जाट, जाति जाट, उम्र वयस्क निवासी चोयलो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सोनाथ जाट पुत्र श्री मगना जाट, जाति जाट, उम्र वयस्क निवासी चोयलो का खेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य तहसीलदार साहब भीलवाड़ा राज0


-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी ओम प्रकाश शर्मा

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा चोयलो का खेड़ा प0ह0 मण्डपिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 44 की अभिलिखित आराजियात 256/42, 87/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5058 तथा खाता संख्या 14 में आराजी नम्बर

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

42. 46 कुल किता 02 कुल रकबा 1.4289 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 के समन बाद तामिल प्राप्त नहीं हुए। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा चोयलो का खेड़ा प0ह0 मण्डपिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटुण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 44 की अभिलिखित आराजियात 256/42, 87/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5058 तथा खाता संख्या 14 में आराजी नम्बर 42, 46 कुल किता 02 कुल रकबा 1.4289 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आव्हान निवृत्ति अभिजाथ)  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड भीलवाडा